न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 38/2016 (बांसवाड़ा डिक्री)

श्रीमती हुडी पुत्री गलिया, जाति भील, निवासी गांव जालीमपुरा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (मृतक) के वारिसान :–

1. पारसेंग पिता गाजीया, जाति भील, निवासी गांव जालीमपुरा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. दलु पिता गाजीया, जाति भील, निवासी गांव जालीमपुरा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. कलसिंह पिता गाजीया, जाति भील, निवासी गांव जालीमपुरा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. नानका पिता गाजीया, जाति भील, निवासी गांव जालीमपुरा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. मोहन पिता गाजीया, जाति भील, निवासी गांव जालीमपुरा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. तरसिंह पिता बदिया, जाति भील, निवासी गांव जालीमपुरा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. वजहिंग पिता नरसिंग, जाति भील, निवासी गांव जालीमपुरा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. रमसु पिता नरसिंग, जाति भील, निवासी गांव जालीमपुरा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. मृतक समसु पिता बदिया, जाति भील, निवासी गांव जालीमपुरा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.) के वारिसान :–

4/1. कानु पिता समसु, जाति भील, निवासी गांव जालीमपुरा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

4/2. भारतसिंह पिता समसु, जाति भील, निवासी गांव जालीमपुरा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

4/3. गटुलाल पिता समसु, जाति भील, निवासी गांव जालीमपुरा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

4/4. श्रीमती गलबी समसु, जाति भील, निवासी गांव जालीमपुरा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

5. माता पिता गमना, जाति भील, निवासी गांव जालीमपुरा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
6. भावजी पिता मगन, जाति भील, निवासी गांव जालीमपुरा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
7. भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये रास्व प्रतिनिधि तहसीलदार सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
8. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ़
दिनांक 09.06.2016, प्र.सं. 01/2014

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1— श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक अपीलान्टगण
2— श्री मुकेश त्रिवेदी/विनोद नागर अभि.रेस्पो.
3— राजकीय पैरोकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 व 8

———::———

निर्णय **दिनांक 11—12—2019**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट मृतक हुडी द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92—ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गांव जालीमपुरा में अराजी नंबर 313 रकबा 1.56 एकड़ एवं आराजी नंबर 314 रकबा 1.23 एकड़ भूमि स्थित है, जो वादिया के पिता जालिया पिता धीरजी भील के एक मात्र खातेदारी एवं कब्जे काश्त की थी एवं उनकी मृत्यु के बाद वादिया उसकी विधिक वारिस होने से उसके नाम दर्ज हुए एवं वादिया का ही कब्जा चला आ रहा है, किन्तु प्रतिवादीगण वादिया की वृद्धावस्था का नाजायज लाभ उठाकर वादिया के शान्ति पूर्वक कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करते हैं तथा वादिया की गैर जानकारी में राजस्व कर्मियों से मिलकर कुछ भूमियां अपने नाम दर्ज करवा ली हैं, जिसका उन्हें कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अतः वादिया को विवादित आराजियात का एक मात्र खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखा जाकर अपने निर्णय दिनांक 09–06–2016 से प्रकरण ड्रोप कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादिया द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 17–08–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण प्रतिवादीगण के जवाबदावे एवं तलबी हेतु नियत था, किन्तु बिना जवाबदावा एवं साक्ष्य लिये तथा वादिया को सुनवाई का न्यायोचित अवसर दिये बिना ही प्रकरण में एकपक्षीय डिक्री पारित कर दी, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 04–08–2016 को हाने पर तुरन्त अपील प्रस्तुत कर दी। अतः मयाद कण्डोन की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से वकील श्री मुकेश त्रिवेदी एवं श्री विनोद नागर उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 व 8 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

जहां तक दफा 5 जाब्ता दीवानी के आवेदन का प्रश्न है, अपील प्रस्तुत करने में मात्र 9 दिन का विलम्ब हुआ है। अतः न्यायहित में तथा प्रकरण के गुणावगुण पर निर्णय करने में दृष्टिगत मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, वकील अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिया कि प्रकरण रेस्पोन्डेन्ट की तलबी एवं जवाबदावे में नियत थी, परन्तु बिना जवाबदावा लिये एवं बिना साक्ष्य लिये प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर निर्णय पारित कर दिया गया, जबकि प्रकरण राजस्व कैम्प में रखे जाने की कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गयी। राजस्व कैम्पों में प्रकरण राजीनामें के आधार पर निर्णित होते हैं, जबकि पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा नहीं हुआ है, फिर भी प्रकरण अपीलान्ट को बिना सूचना दिये राजस्व कैम्प में निर्णित कर दिया गया, जो त्रुटि पूर्ण है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रतिवादीगण के सम्मन तलवाना पेश

करने हेतु नियत था एवं प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 23–05–2016 को रखी गयी, किन्तु बिना दिनांक 23–05–2016 की कोई आदेशिका लिखे एवं अपीलान्ट/वादी को बिना सूचना दिये प्रकरण सीधे ही दिनांक 09–06–2019 को राजस्व कैम्प में रखकर वादी/अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित कर दिया गया, जो प्रथम दृष्टया तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 09–06–2016 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारान को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर एवं उनसे साक्ष्य सबूत प्राप्त कर विधि के आलोक में निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 11–02–2020 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 11–12–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

चुनिया पिता दिपा, जाति भील, नि0 ग्राम भीमगढ़, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा व अन्य बनाम **दिता पिता हड़िया, जाति भील, नि0 ग्राम भीमगढ़, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं.....**59 / 2016**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**सज्जनगढ़** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....22**.....माह.....**07**.....**2003**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**22**....माह.....**.10**.....सन् **2016** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री दिलीप त्रिवेदी**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री नन्दलाल पुरोहित**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–07–2003 यथावत रखी जाती है। .

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**.22**.....माह.....**.10**.....**2016** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.01.01 15:28:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: